उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर – 208024
दूरभाष : 0512- 582851-5
फैक्स : 0512-258079
वेबसाइट: www.upsidc.co
CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या /सीडा/एटीपी/का0आ0 दिनांक

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न 36वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में, यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7(B)(i) में प्राविधानित औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन से पूर्व आवंटी के पक्ष में लीजडीड निष्पादन की अनिवार्यता को समाप्त कर यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7(B)(i) में संशोधनोंपरान्त समायोजन करते हुए प्राधिकरण में लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7(B)(i) में निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

वर्तमान प्राविधानः
Only industrial plots for which Lease Deed has been executed and registered shall be considered for amalgamation.

अनुमोदित संशोधित प्राविधानः
It will not be mandatory to have Lease Deed executed prior to amalgamation.

उक्त प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में, यूपीसीडा के औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में आवंटित भूखण्डों के संविलियन के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 379–385 दिनांक 27.7.2018 के बिन्दु–ख के क्रमांक–4 में वर्णित आवंटित भूखण्डों का पट्टाविलेख की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए, यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के संशोधित प्रस्तर–3.3.7(B)(i) के अनुरूप क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा पट्टाविलेख की अनिवार्यता न होने के सम्बन्ध में संविलियन के प्रस्तावों में सुस्पष्ट संस्तुति औ0क्षे0 अनुभाग के माध्यम से एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

Ms. Ankita 12/10

इसके अतिरिक्त संविलियन के प्रस्तावों के निस्तारण में हो रहे अनावश्यक विलम्ब एवं पूर्व के पंजीकृत आवंटियों पर संविलियन की बाध्यता के सम्बन्ध में उद्यमियों की कठिनाईयों के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन–2004 के लागू होने से पूर्व भूखण्ड आवंटन के ऐसे प्रकरण जिनमें आवंटी की आवश्यकतानुसार एक से अधिक भूखण्ड

एकल भूखण्ड के रूप में आवंटित किये गये है तथा उनकी लीजडीड भी एकल भूखण्ड के रूप में एक ही परियोजना हेतु निष्पादित की गयी है एवं इस प्रकार के भूखण्डों का आवंटन तथा लीजडीड निष्पादन जिस अधिकारी द्वारा किया गया हो, उन्हे सक्षम स्तर (यथा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा अथवा प्राधिकरण बोर्ड) से ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया हो, को प्राधिकरण के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7 के अन्तर्गत संविलयित मानते हुए तलपट मानचित्र में समाविष्ट करने एवं संशोधित तलपट मानचित्र अनुमोदित करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया। उक्त अनुमोदन के क्रम में समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार औ0क्षे0अनुभाग के माध्यम से प्रस्ताव अविलम्ब एटीपी अनुभाग प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में, उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ संख्या 700-706/**यथोक्त।** **दिनांक** 12-10-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0..... को इस आशय से प्रेषित कि संविलियन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....।
5. प्रभारी (कम्प्यूटर), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचनायें वेबसाइट पर भूमि विकास एवं भवन विनियमन–2018 के संशोधन के रूप में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. श्री अनुराग अवस्थी, सलाहकार, ई0 एण्ड वाई0 को इस आशय से प्रेषित कि संविलियन सम्बन्धी साफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार प्रावधान समाहित करने हेतु।
7. सहायक प्रबन्धक(वा0/नि0)/समस्त मानचित्रक, एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी